न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—83 / 19 (2019 / 00036) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नेनुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—मगना पिता घीसा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—अम्बालाल पिता घीसा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—गेहरी पुत्री घीसा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—भंवरी पुत्री घीसा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—केशु पिता भुरा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—प्रभुलाल पिता भुरा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—मोहनलाल पिता भुरा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—पारस पिता मोहनलाल बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—माना पिता मोहनलाल बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—हगामी बेवा मोहनलाल बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—पानी पुत्री मोहनलाल बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 20.08.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मण्डी पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 120 रकबा 0.52 है0 भूमि स्थित है प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 तक प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र की कलम नम्बर 1 में अकिंत आराजी संख्या 120 में प्रार्थी सरकारी आराजी संख्या 121 के पश्चिमी भाग से होकर नक्शे में बने रास्ते से होकर आवागमन करता चला आ रहा है, उसके बाद विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 की आराजी 124 रकबा 0.17 है0 जो मोके पर रास्तेनुमा होकर ही है जिस पर सदैव से आवागमन करता चला आ रहा है। उक्त आराजी संख्या 124 रकबा 0.17 है0 जो मोके पर रास्तेनुमा होकर दर्शित है जिसमें से आगे आराजी संख्या 507 / 147 रकबा 0.0360 है0 किस्म बिलानाम रास्ते में होकर गांव मण्डी से अपनी आराजी में सदैव से संज, बैलगाड़ी, ट्रेक्टर आदि से आवागमन करते चले आ रहे है तथा मौके पर 12 से 15 फीट रास्ता बना हुबा है। प्रार्थी की आराजी संख्या 120 में आवागमन का रास्ता विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 की आराजी संख्या 124 सिंति है जो रास्तेनुमा है परन्तु राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने से प्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 की आराजी संख्या 124 को बिलानाम रास्ता दर्ज कर दिया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति की राशि जो भी निर्धारित होगी प्रार्थी देने को तत्पर रहेगा अतः निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा करके विपक्षी संख्या 1 लगायत 11 की आराजी संख्या 124 मे से 12 फीट चौड़ा रास्ता दिलाया जावे व उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करावाया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.06.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी सख्या 1, 2, 4, 8, 10 की ओर से अधिकार पत्र फारूख मोहम्द द्वारा प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 3, 5, 6, 7, 9 व 11 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है एवं विपक्षी संख्या 12 फोरमल पक्षकार होने से कोई अनुतोष नही चाहा गया है।

विपक्षी संख्या 1, 2, 4, 8, 10 कर ओर जवाब पेश हुआ जिसमे अंकित किया कि कॉलम 2 में वर्णित तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी आराजी नम्बर 120, 121 के पश्चिमी मेड़ से एवं विपक्षी की आराजी नम्बर 124 से आवागमन नही करता है। बिलानाम आराजी नम्बर 507/147 मौके पर बिलानाम रास्ते के रूप में नही है। प्रार्थी द्वारा आराजी नम्बर 147 में प्रकरण संख्या 03/18 दिनांक 13.06.2018 से नियम विरूद्व एकपक्षीय निर्णय करा रास्ता कायम कराया है जिसकी अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी की आराजी नम्बर 124 मौके पर रास्तेनुमा नही है। प्रार्थी के पास अपनी आराजी संख्या 120 मे आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है उक्त वैकल्पिक मार्ग पक्की ग्रेवल सड़क है जो मण्डी ग्राम से होकर प्रार्थी की आराजी के पास सटमा निकलती हुई आगे ग्राम चावण्डखेड़ा में जाती है। ग्रेवल सड़क आराजी नम्बर 121 में बनी हुई है जिसे प्रार्थी आ जा सकता है। मजीद कथन के रूप में निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी मण्डी से ग्राम चावण्डखेंड़ा जाने वाली सड़क से लगती हुई है जिसे प्रार्थी ट्रेक्टर लाता ले जाता है। विपक्षी की आराजी में प्रार्थी केवल सुविधा युक्त रास्ता चाहता है जो नियम विरूद्व है प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। विपक्षी का प्रार्थना पत्र इसी आधार पर खारीज फरमाया जावे।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर के द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम मण्डी के खसरा नम्बर 120 में प्रार्थी नेनुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी के आवागमन हेतु खसरा नम्बर 124 में रास्ता चाहता है। उक्त खसरा नम्बर 124 पर वर्तमान में रास्ता मौके पर बना हुआ होकर प्रार्थी आवागमन कर रहा है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर पर रास्ता चालु है। वर्तमान में उक्त खसरा नम्बर 120 आवागमन खसरा नम्बर 506/145, 507/147 बिलानाम गैर काबिल काश्त रास्ता से होकर प्रस्तावित खसरा नम्बर 124 मे से होकर एवं खसरा नम्बर 121 से होकर वादी अपनी आराजी नम्बर 120 में पहुँचता है। आराजी नम्बर 124 रकबा 0.17 है0 मे से मौके पर 12—13 फीट चौड़ा रास्ता लेने से रकबा 0.05 है0 यानि 500 वर्गमीटर रास्ते में उपयोग में बनती है। प्रस्तावित भूमि ग्राम मण्डी की आराजी नम्बर 124 रकबा 0.17 है0 मे से 0.05 है0 भूमि रास्ता उपयोग में आती है जो खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड होकर वर्तमान में खातेदार 1 लगायत 11 के नाम दर्ज रेकार्ड है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि 0.05 है0 की डीएलसी दर 65900 रूपये प्रति बीघा से है जिससे 0.05 है0 की कीमत 14026 रूपये बनती है जिसकी दुगुना राशि 28052 रूपये बनते है जो प्रतिवादीगणो को भुगतान किया जाना है। दिनांक 06.02.2020 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति जाहिर करने पर एवं वैकल्पिक रास्ता को इस रिपोर्ट में नही दर्शाने से पुनः रिपोर्ट हेतु निवेदन किया जिस तहसीलदार रायपुर से पुनः मौका रिपोर्ट ली ग़ई जिसका अवलोकन दोनो अधिवक्ताओ को कराया गया एवं शामिल पत्रावली की गई। प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी आराजी नम्बर 120 मे आने जाने हेतु आराजी

नम्बर 145 उवं 147 में रास्ता जो पहले दर्ज हुआ जिससे आगे खसरा नम्बर 124 में रास्ता चाहा गया है जिसे वर्तमान में पैदल आवागमन किया जाता है जो मौके पर 430 मीटर लम्बाई मे है। दुसरी तरफ प्रतिवादीगणो का कथन है कि वैकल्पिक रास्ता चावण्डखेड़ा जाने वाली सड़क से होकर प्रार्थी आ जा सकते है ग्रेवल सड़क मौके पर बनी हुई है जो खसरा नम्बर 225, 175, 121 मे स्थित है जो चारागाह भूमि है। उक्त ग्रेवल सड़क वादी के खसरा नम्बर 120 के पास होकर जाती है जिसकी दुरी प्रार्थी के घर से 1600 मीटर बनती है। प्रार्थी फसल लाने हेतु ट्रेक्टर गाड़ी लाता ले जाता है। खेत पर जाने हेतु पैदल आवागमन प्रार्थी द्वारा चाहा गया प्रस्तावित रास्ता आराजी नम्बर 145, 147, 124, 121 से करते है जिससे प्रार्थी द्वारा चाहा गया है। मौके पर आराजी नम्बर 121 मे होते हुए ग्रेवल सड़क बनी हुई है जो ग्राम चावण्डखेड़ा से मण्डी तक जाती है। जो प्रार्थी की खातेदारी से लगती है।

प्रकरण में दोनो अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए एवं दिनांक 06.02.2020 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2017 (2) राजस्व पेज 953, आरआरटी 2019 (2) पेज 1098 व इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/18 क निर्णय की प्रति पेश की गयी।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस के दौरान जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 13.08.2020 को जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसमें सारी मौका स्थिति को दर्शाते हुए रिपोर्ट पेश की गई है जिसके अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जावे। अपने समर्थन में आरआरटी 2018—19 {SUPP} पेज 576 रामविलास बनाम रामेश्वर और अन्य तथा आरआरटी 2019 (1) पेज 1543 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये गये।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत दोनो मौका रिपोर्ट एवं प्रार्थी एवं विपक्षी अधिवक्ता की बहस पर मनन तो पाया कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि आराजी नम्बर 120 में जाने हेतु आराजी नम्बर 145, 147 मे नवीन रास्ता कायम कराया गया जिसे होता हुआ आगे आराजी नम्बर 124 में जो विपक्षी की खातेदारी भूमि से रास्ता चाहा गया है तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार पैदल आवागमन विपक्षी की आराजी नम्बर 124 में होना बताया गया एवं ट्रेक्टर गाड़ी आदि से प्रार्थी आवागमन आराजी नम्बर 225, 175 एवं 121 मे स्थित ग्रेवल सड़क से होकर करना बताया है। उक्त ग्रेवल सड़क चारागाह में स्थित होकर ग्राम मण्डी से चावण्डखेड़ा की ओर जाती है जो 2 गावों को जोड़ रही है प्रार्थना पत्र के समथन में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/18 से हुए निर्णय की प्रति, न्यायिक दृष्टान्त आरएलडब्ल्यू 2017 (2) राजस्व पेज 953, आरआरटी 2019 (2) पेज 1098 पेश किये जिसका अध्ययन करने पर पाया कि उक्त दृष्टान्त जहां वैकल्पिक रास्ता नही हो उस जगह नया रास्ता देने बाबत् है इस प्रकरण में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इसलिये यह दृष्टान्त इस प्रकरण पर चस्पा नही होते है।

इसके साथ ही विपक्षी अधिवक्ता द्वारा ने भी निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रकरण संख्या 3/18 से आराजी नम्बर 145, 147 मे रास्ता लिया गया जिसकी अपील राजस्व

अपील प्राधिकारी महोदय भीलवाड़ा के न्यायालय में विचाराधीन है। इसके साथ विपक्षी अधिवक्ता द्वारा आरआरटी 2018—19 {SUPP} पेज 576 रामविलास बनाम रामेश्वर और अन्य तथा आरआरटी 2019 (1) पेज 1543 जगदीश बनाम मनफुल वगैरा की रूलिंग पेश की जो शामिल पत्रावली है। मैने दोनो न्यायालय दृष्टान्त का अवलोकन किया एवं अध्ययन करने पर पाया कि उक्त दोनो दृष्टान्त इस प्रकरण पर लागु होते है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में पैदल आवागमन विपक्षी की खातेदारी भूमि में होकर करना मौका रिपोर्ट से जाहिर है और बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि हेतु आवागमन मौके पर स्थित ग्रेवल सड़क से करना बताया गया है। तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 06.02.2020 में प्रार्थी का विपक्षी की आराजियात में पैदल आवागमन होता है जो धारा 251 आरटीए के तहत् है। प्रार्थी 251 आरटीए के तहत् आवागमन जैसा पूर्व में करता आ रहा है वैसा करने में स्वतंत्र है जहां बैलगाड़ी ट्रेक्टर लाने ले जाने हेतु राजस्व रेकार्ड में धारा 251ए के तहत् रास्ता दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जो वैकल्पिक रास्ता के रूप में ग्राम मण्डी से चावण्डखेड़ा जाने वाली ग्रेवल सड़क है व सड़क के पास प्रार्थी के आराजी स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सुविधाजनक होने एवं मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए अस्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए से गवर्न नही होकर अत्तर्गत धारा 251 आरटीए से गवर्न होता है। प्रार्थी पूर्वानुसार विपक्षी की आराजी की मेड़ के सहारे सहारे पैदल आवागमन करना तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में दर्शाया गया है जिसके अनुसार पैदल आवागमन करने में प्रार्थी स्वतन्त्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20.8.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (भीलवाड़ा)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—83 / 19 (2019 / 00036) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—नेनुदास पिता केशुदास जोगी निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—मगना पिता घीसा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—अम्बालाल पिता घीसा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—गेहरी पुत्री घीसा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—भंवरी पुत्री घीसा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—केशु पिता भुरा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—प्रभुलाल पिता भुरा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—मोहनलाल पिता भुरा बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
8—पारस पिता मोहनलाल बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
9—माना पिता मोहनलाल बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
10—हगामी बेवा मोहनलाल बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
11—पानी पुत्री मोहनलाल बलाई निवासी मण्डी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
12—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए से गवर्न नही होकर अत्तर्गत धारा 251 आरटीए से गवर्न होता है। प्रार्थी पूर्वानुसार विपक्षी की आराजी की मेड़ के सहारे सहारे पैदल आवागमन करना तहसीलदार रायपुर की रिपोर्ट में दर्शाया गया है जिसके अनुसार पैदल आवागमन करने में प्रार्थी स्वतन्त्र है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने से खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

हुक्मनामा आज दिनांक 20.08.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

20.8.2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाडा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.08.22 13:50:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: